रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 114] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 1971/माघ 20, 1892

No. 114] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 1971[MAGHA 20, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 9th February 1971

S.O. 682.—Whereas Messrs Gresham and Craven of India (Pvt.) Ltd., Calcutta is engaged in the scheduled industries, namely, the railway rolling stock industry;

And whereas it has come to the notice of the Central Government that the volume of production of the articles manufactured in the said factory had been gradually going down and the production has now come to a standstill consequent upon the closure of the said factory by the management;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient to take urgent measures to remedy the situation arising out of the closure of the said factory and to ensure that production in the said scheduled industries does not suffer to the detriment of the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central

Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:

Chairman.

Shri A. Bose,
Special Officer and ex-officio Secretary,
Commerce and Industries Department,
Government of West Bengal, Calcutta.

Members

1. Shri J. Matthan,
Director, Mechanical Engineering (Production and Development),
Railway Board,
Ministry of Railways, New Delhi.
2. Shri M. P. Wadhawan,
Director (Finance),
Hindustan Steel Ltd., Ranchi.

2. The above body shall submit its report to the Central Government within a period of Ten days from the date of publication of this order in the official Gazette.

[No. F. 6(2)/71-M.E.I.]

R. V. SUBRAHMANIAN, Addl. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1971

सा० आ० 682.—यतः मैसर्स ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इंडिया (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता अनुसूचित उद्योगों अर्थात इस्पाती ढाचे तथा रेलवे रोलिंग स्टाक उद्योगों में रत है।

और यतः भारत सरकार को ज्ञात हुआ है कि उक्त फैक्टरी में उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और प्रबन्धक वर्ग द्वारा उक्त फैक्टरी को बन्द करने के फलस्वरूप उत्पादन अब बिलकुल बन्द हो गया है।

और यतः केन्द्रीय सरकार का मत है कि उक्त फैक्टरी के बंद होने के कारण उत्पन्न स्थिति का उपचार करने के लिए तथा जनहित में उक्त अनुसूचित उद्योगों में उत्पादन का अनहित न हो, वांछनीय अभ्युपाय किये जायें।

अब इस कारण से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65वां) के खण्ड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस प्रकरण की स्थितियों की पूर्ण जांच करने के उद्देश्य से भारत सरकार एतद्द्वारा एक निकाय की नियुक्ति करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगें :—

अध्यक्ष :

श्री ए० बोस,
विशेषाधिकारी तथा पदेन सचिव,
वाणिज्य तथा उद्योग विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता।

सदस्य :

1 श्री जे० माथन,
नदेशक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग (उत्पादन तथा विकास),
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
2 श्री एम० पी० वधावन,
निदेशक (वित्त),
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड,
रांची ।

उक्त निकाय अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने के दस दिन की अवधि में प्रस्तुत करेगा ।

[सं० फा० 6 (2)/71—एम० ई० आई०]

आर० वी० सुब्रह्मनियम, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971